संख्या-49/2016/61/22-2-2016-17(14)/2007

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 मई, 2016

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्व बन्दी राम लाल पुत्र श्री राम ख्याली निवासी जनपद-फतेहपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-49391/पर-3(एम-06-08-2014) दिनांक-11-12-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राम लाल पुत्र श्री राम ख्याली, निवासी ग्राम-साल्हेपुर, थाना-चांदपुर, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। जमीनी विवाद के कारण बन्दी ने तीन सहअभियक्तों के साथ मिलकर दिनांक 11/12;09;1977 की मध्य रात्रि में पिस्तौल से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-10/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा दिनांक 03-05-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2015 तक 16 वर्ष 05 माह 13 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 09 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक, बन्दी के 02 सहअभियुक्त की मृत्यु, 01 कारागार में निरूद्ध है, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी राम लाल पुत्र श्री राम ख्याली, निवासी जनपद-फतेहपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राम लाल (बन्दी संख्या-11633/1999) पुत्र श्री राम ख्याली निवासी जनपद-फतेहपुर के फार्म-ए

http://shasanadesh.up.nic.in

पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-61(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फतेहपुर ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-61@22-2-2015-17(14)/2016

दिनांक 10 मई, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध बन्दी राम लाल (बन्दी संख्या-11633/1999) पुत्र श्री राम ख्याली निवासी जनपद-फतेहपुर का निवासी है। जमीनी विवाद के कारण बन्दी ने तीन सहअभियक्तों के साथ मिलकर दिनांक 11/12;09;1977 की मध्य रात्रि में पिस्तौल से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-10/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा दिनांक 03-05-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2015 तक 16 वर्ष 05 माह 13 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 09 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक, बन्दी के 02 सहअभियुक्त की मृत्यु, 01 कारागार में निरूद्ध है, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी राम लाल पुत्र श्री राम ख्याली, निवासी जनपद-फतेहपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in